फाइल संख्या-71-1002(002)/26/2021

74/2023/I/320931/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 मई, 2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा-कानपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, झांसी एंव बॉदा में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/7761, दिनांक 25.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-105-03-76-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 426.42 लाख (रू0 चार करोड़ छब्बीस लाख बयालिस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	कार्य	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	कानपुर	चिकित्सीय उपकरणों की एम0एम0सी0/सी0एम0सी0	200.00
2	प्रयागराज	चिकित्सीय उपकरणों (गैस पाइप लाइन) की एम0एम0सी0/सी0एम0सी0	40.00
3	अम्बेडकरनगर	गैर चिकित्सीय उपकरणों की एम0एम0सी0/ सी0एम0सी0	100.00
4	झॉसी	चिकित्सीय उपकरणों की एम0एम0सी0/सी0एम0सी0	41.42
5	बॉदा	गैर चिकित्सीय उपकरणों की सी0एम0सी0	45.00
		योग-	426.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,26,42,000 (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-कानपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, झांसी एंव बॉदा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा- कानपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, झांसी एंव बॉदा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, झांसी एंव बॉदा।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।